न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 121/2007

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. राधेश्याम पुत्र मोहनदास		1. पुखराज पुत्र उदाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र मोहनदास		2. मुरली पुत्र उदाराम
जातियान–साद, निवासी–लाम्बिया,		3. मुन्नालाल पुत्र उदाराम
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)		4. केलकी बेवा गुलाबराम
		जातियान – साद,
		5. तेजाराम पुत्र धन्नाराम
		6. अमराराम पुत्र धन्नाराम
		7. जोगाराम पुत्र धन्नाराम
		जातियान – कुमावत
		निवासीगण – लाम्बिया
		तहसील–जैतारण, जिला–पाली
		8. तहसीलदार, जैतारण
		लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
		तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.20.06.2007

उपस्थितः– 1. श्री चतुराराम भाटी एवं श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 15/07/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–लाम्बियां मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से सात की सामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन आई हुई हैं जिसके खसरा नम्बर 1062 रकबा 16–13 बीघा किस्म बा0अ0 एवं खसरा नम्बर 1064 रकबा 12–01 बीघा किस्म बा0अ0, कुल किता–2 कुल रकबा 28–14 बीघा उपरोक्त कृषि भूमि की जमांबदी की नकल सम्वत् 2062 से 2064 वाद के साथ पेश की हैं । खसरा नम्बर 1062 एवं 1064 में वादीगण का 1/4 का 1/2 हिस्सा यानि वादीगण का सम्पूर्ण में से 1/8 हिस्सा आता हैं तथा प्रतविादी संख्या 4 का 1/4 हिस्सा आता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 5 तेजाराम का 1/4 हिस्सा अकेला का तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 का हिस्सा आता हैं। इसी हिस्से माफिक मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त करते आ रहे हैं। लेकिन मौके पर वादीगण के पास अपने हिस्से माफिक जमीन नहीं होकर कम हैं। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त जमीन का नापचौप करवाकर उक्त हिस्से अनुसार बंटवाडा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने बंटवाडा करने से ईन्कार कर दिया व वादीगण को किसान केडिट कार्ड बनाने के लिए भी उक्त भूमि का बंटवाडा करवाना आवश्यकता है इसलिए वादीगण के पास दावा करने के अलावा अन्य कोई जरिया नही होने से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बंटवाडा का दावा पेश किया हैं। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से तीन की पैतृक भूमि होने से व मौके पर अलग-अलग काश्त करने से अपने हिस्से माफिक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाना जरूरी है तथा वादीगण अपने हिस्से माफिक काश्त करें, तो प्रतिवादीगण दखलन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा के वास्ते रोका जाना जरूरी हैं। मोहनदारा फौत होने से उनके कायम मुकाम वादीगण की और से उक्त वाद पेश किया जा रहा हैं। वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण आये दिन दखलन्दाजी करते है तथा फसल बोने अवेरने में बाधा उत्पन्न करते है और वादीगण के हिस्से माफिक मौके पर जमीन कम होतें हुए भी बराबर नही करने से वादीगण द्वारा बंटवाडा का दावा पेश किया जा रहा हैं। वादीगण के हिस्से माफिक प्रतिवादीगण काश्त नही करने देगें, तो वादीगण अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगें तथा विविध प्रकार के मुकदमें बाजी जिससे मल्टीप्लसिटी ऑफ प्रोसिसडिंग्स होगी, जिससे वादीगण जैरबार होगें। इसलिए उक्त भूमि में वादीगण अपने हिस्से अनुसार काश्त करे व काश्त के मुतालिक सभी कार्य करें, तो उसमें प्रतिवादीगण को बाधा उत्पन्न करने से रोका जावें। प्रतिवादी सख्या 8 तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर होने से दावा बंटवाडा का होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। वादीगण का बिनायदावा दिनांक 10/06/2007 को जब प्रतिवादीगण ने जमीन बराबर करने व बंटवाडा करने से मना करने पर बमुकाम-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं व वाद अन्दर मयाद पेश किया हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लाम्बिया में पेश हुई। प्रतिवादी पुखराज, केलकी फौत हों गया हैं। प्रतिवादी के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र 022 नियम 4 सीपीसी का पेश करने का समय दिया गया। बार-बार समय दिए जाने के बावजूद भी 022 नियम 4 सीपीसी का दरख्वास्त पेश नहीं करने से दावा एवेट होने से दावा खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः प्रतिवादी के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र 022 नियम 4 सीपीसी का समय दिये जाने के बावजूद भी पेश नहीं किया। लिहाजा वादीगण का वाद खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लाम्बिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. राधेश्याम पुत्र मोहनदास
2. ओमप्रकाश पुत्र मोहनदास
   जातियान–साद, निवासी–लाम्बिया,
   तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

1. पुखराज पुत्र उदाराम
2. मुरली पुत्र उदाराम
3. मुन्नालाल पुत्र उदाराम
4. केलकी बेवा गुलाबराम
   जातियान – साद,
5. तेजाराम पुत्र धन्नाराम
6. अमराराम पुत्र धन्नाराम
7. जोगाराम पुत्र धन्नाराम
   जातियान – कुमावत
   निवासीगण – लाम्बिया
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली
8. तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:121/2007

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री चतुराराम भाटी एवं श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र 022 नियम 4 सीपीसी का समय दिये जाने के बावजूद भी पेश नहीं किया। लिहाजा वादीगण का वाद खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	1=00
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	2=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	3=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुतफरिक	
मिजानः–	8=00	मिजानः–	1=00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner